संख्या-2367/सैंतीस-2-2024

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 22 नवम्बर, 2024

विषय- उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में संशोधन विषयक।

महोदय,

कुक्कुट उत्पाद में मांग के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर (गैप) को पूर्ण कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यातोन्मुखी बनाने की दृष्टि से शासनादेश संख्या-2254/सैंतीस-2-2022-1(45)/12 टी0सी0 दिनांक 07.11.2022 द्वारा उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-2022 प्रख्यापित की गयी थी। नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2505/सैंतीस-2-2022-1(45)/12टी०सी० दिनांक 29 दिसम्बर-2022 निर्गत किया गया था। शासनादेश संख्या-1348/37-2-2024-1(45)/2012टी०सी०-(ए) दिनांक 13-08-2024 द्वारा कुक्कुट विकास नीति-2022 के अंतर्गत संचालित योजनाओं में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

**1. योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 99.53 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 69.67 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 29.85 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 14.61 |
| भूमि की आवश्यकता | 01 एकड़ |

**2. योजना का नामः 20000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 177.32 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 124.12 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 53.20 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 26.04 |
| भूमि की आवश्यकता | 1.7 एकड़ |

3. योजना का नामः 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 256.69 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 179.69 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 77.00 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 37.73 |
| भूमि की आवश्यकता | 2.5 एकड़ |

4. योजना का नामः 40000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 339.82 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 237.87 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 101.95 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 49.95 |
| भूमि की आवश्यकता | 3.0 एकड़ |

5. योजना का नामः 50000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 418.42 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 292.89 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 125.53 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 61.50 |
| भूमि की आवश्यकता | 3.5 एकड़ |

6. योजना का नामः 60000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 491.90 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 344.33 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 147.57 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 72.30 |
| भूमि की आवश्यकता | 4.0 एकड़ |

7. योजना का नामः 70000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 568.45 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 397.91 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 170.54 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 83.55 |
| भूमि की आवश्यकता | 4.5 एकड़ |

**8. योजना का नामः 80000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 651.38 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 455.96 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 195.42 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 95.73 |
| भूमि की आवश्यकता | 5.0 एकड़ |

**9. योजना का नामः 90000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 734.55 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 514.18 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 220.37 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 107.96 (अधिकतम 100.00 लाख तक प्रतिपूर्ति ) |
| भूमि की आवश्यकता | 5.5 एकड़ |

**10. योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता ब्रायलर पैरेन्ट फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 289.07 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 202.34 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 86.72 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 42.47 |
| भूमि की आवश्यकता | 4.0 एकड़ |

**11. योजना का नामः 20000 पक्षी क्षमता ब्रायलर पैरेन्ट फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 554.80 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 388.36 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 166.44 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति | 81.53 |
| भूमि की आवश्यकता | 6.0 एकड़ |

**12. योजना का नामः 30000 पक्षी क्षमता ब्रायलर पैरेन्ट फार्म इकाई (धनराशि रू० लाख में)**

| | |
|---|---|
| योजना की लागत प्रति इकाई | 811.64 |
| (i) बैंक ऋण इकाई लागत का अधिकतम 70% | 568.14 |
| (ii) मार्जिन मनी इकाई लागत का 30% | 243.50 |
| बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक अधिकतम 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर | 119.28 |

| | |
|---|---|
| (इनमें से जो भी कम हो) पर व्याज की प्रतिपूर्ति | (अधिकतम 100.00 लाख तक प्रतिपूर्ति ) |
| भूमि की आवश्यकता | 8.0 एकड़ |

नोट- नीति अन्तर्गत किसी भी क्षमता की एक इकाई के सम्बन्ध में लाभार्थी को अधिकतम रू0 100.00 लाख का व्याज उपादान अनुमन्य किया जायेगा।

2. उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत योजना के संचालन, पात्रता, भूमि आदि की आवश्यकता एवं अन्य प्रक्रियाओं का विवरण निम्नवत है:-

(1) उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन उ०प्र०, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(2) उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेगें। इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिन्ग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

(3) प्रदेश में न्यूनतम 10000 पक्षी क्षमता की नई कामर्शियल इकाई या नई ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना किये जाने पर उद्यमी इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

किसी अन्य पूर्व नीति के अन्तर्गत स्थापित किसी इकाई के न्यूनतम 10000 पक्षी क्षमता की अतिरिक्त वृद्धि किये जाने पर भी उद्यमी इस नीति के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए पात्र होगा किन्तु प्रतिवन्ध यह है कि वृद्धि लागू करने के बाद उसका नई इकाई प्रारम्भ करने की तिथि को कुल उत्पादन 01 जुलाई 2024 को उसके उत्पादन व प्रस्तावित वृद्धि के योग से कम नहीं होगा। यह भी प्रतिवन्ध है कि प्रस्तावित वृद्धि में, पूर्व से उपलब्ध भूमि के अतिरिक्त अन्य पूर्व आस्तियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा/लाभ नहीं लिया जायेगा।

लाभार्थी की किसी इकाई के पाँच किलोमीटर की परिधि में स्थित लाभार्थी की अन्य समस्त इकाईयों को एक ही इकाई माना जायेगा।

इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए स्थापित की जा रही इकाई के लिए लाभार्थी के पास उक्त क्षमता की इकाई हेतु विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि, स्वयं के स्वामित्व में यह न्यूनतम 10 वर्ष की लीज पर उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(4) योजनान्तर्गत 10 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 01 एकड़, 20 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 1.7 एकड, 30 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 2.5 एकड़, 40 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 3.0 एकड़, 50 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 3.5 एकड़, 60 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 4 एकड़, 70 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 4.5 एकड़, 80 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 5.0 एकड़, 90 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 5.5 एकड एवं 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 4 एकड़, 20 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 06 एकड़ तथा 30 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 08 एकड़ भूमि लाभार्थी के स्वामित्व में अथवा कम से कम 10 वर्ष की लीज पर होना अनिवार्य है।

(5) पक्षियों को पालने हेतु California Cage पद्धति अथवा किसी अन्य पक्षी अनुकूल पद्धति (Bird Friendly Technology) का प्रयोग किया जायेगा जिसके लिए मानकों का पालन अनिवार्य है।

**(6) कार्य प्रारम्भ करने की औचारिकतायें-**

(6.1) सर्वप्रथम उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा (संलग्नक-प्रारूप-1 एवं 2) प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट- http://animalhusb.up.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात उद्यमी द्वारा समस्त प्रपत्रों को डेडीकेटेड पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। अपलोड किये जाने वाले प्रार्थना पत्र/प्रपत्रों के साथ प्रस्तावित भूमि की मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण निर्धारित संलग्न प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी। अपलोड किये गये प्रार्थना-पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षण जनपद स्तर पर गठित प्रीअप्रेजल समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं सदस्य सचिव, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होंगे।

(6.2) पशुपालन निदेशालय स्तर पर उक्त समिति द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा बैंक की शाखाओं द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का गहन परीक्षण किया जायेगा जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उक्त समिति के अध्यक्ष योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा तकनीकी एवं वित्त विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।

(6.3) पशुपालन निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण अप्रेजेल समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों के परीक्षण के पश्चात परियोजना अनुमोदन समिति (जिसका गठन शासन द्वारा किया जायेगा) द्वारा प्रार्थना पत्रों पर परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त समिति के अध्यक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास) होंगे तथा सदस्य सचिव योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा समिति में तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञ भी होंगे। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों के अनुमोदन के पश्चात निदेशालय स्तर से लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा। अनुमोदन पश्चात उद्यमी के प्रार्थना-पत्र एवं जारी किये गये लेटर ऑफ कम्फर्ट को बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंक को प्रेषित किया जायेगा।

(6.4) बैंक ऋण प्राप्त करने का समस्त दायित्व उद्यमी का होगा तथा इसके लिए उद्यमी द्वारा समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।

(6.5) ऋण स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त के अवमुक्त होने की सूचना संलग्न प्रारूप-3 पर बैंक द्वारा सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(6.6) जनपदीय समिति द्वारा फार्म की स्थापना की प्रगति के कम से कम दो निरीक्षण किये जायेगें।

(6.7) उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति की मांग हेतु प्रत्येक त्रैमास में बैंक स्टेटमेन्ट की मूल प्रति मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए बजट की मांग मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा

निदेशक, प्रशासन एवं विकास को प्रेषित की जायेगी। बैंक के स्टेटमेन्ट के परीक्षण के पश्चात धनराशि का भुगतान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से उद्यमी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(6.8) उद्यमी यदि बैंक को ऋण का समय से भुगतान नहीं करता है तो ऐसी दशा में बैंक को अतिरिक्त ब्याज देने की जिम्मेदारी भी लाभार्थी की होगी। साथ ही यदि लाभार्थी बैंक का कर्ज लौटाने में डिफाल्टर होता है तो ऐसी दशा में उद्यमी को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा डिफाल्टर होने के पश्चात बैंक को ब्याज की भरपाई करने का दायित्व शासन का नहीं होगा तथा उस समय तक दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि उद्यमी को वापस करनी होगी।

<u>(7).अन्य रियायतें एवं छूट-</u>

(7.1) योजना अन्तर्गत स्थापित कुक्कट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षों तक. प्रतिवर्ष 100000 यूनिट तक की इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। इलेक्ट्रिसिटी डयूटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग के बजट से की जायेगी।

(7.2) नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा कामर्शियल लेयर फार्म स्थापना हेतु अधिकतम 5.5 एकड़ भूमि तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म स्थापना हेतु अधिकतम 8 एकड़ भूमि तक सीमित रहेगी। इस हेतु बैंक. गारन्टी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। स्टाम्प ड्यूटी में उक्त छूट प्राप्त करने हेतु उद्यमी द्वारा इस आशय का लिखित शपथ-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कुक्कुट विकास नीति-2022 में उल्लिखित योजनाओं में ही किया जायेगा तथा एक वर्ष के अन्दर योजना को प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गयी स्टैम्प डयूटी की छूट की धनराशि ब्याज सहित उद्यमी को वापस करनी होगी।

<u>(8.) डेडीकेटेड पोर्टल एवं अनुश्रवण हेतु डाटाबेस मैनजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर-</u>

(8.1) कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेंगे ।

इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिन्ग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। उक्त समस्त कार्य के लिए निदेशक, पशुपालन/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(8.2) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप हेतु डेटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना कार्यालय निदेशक/विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग उ०प्र०, लखनऊ में की जायेगी। यह केन्द्र विषय-विशेषज्ञों (डोमेन एक्सपर्ट) के सहयोग से संचालित किया जायेगा। डाटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर का संचालन 01 डोमन एक्सपर्ट/आई०टी० मैनेजर, 01 कम्प्यूटर आपरेटर एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सहयोग से किया जायेगा, जिनकी व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।

(9) चयनित लाभार्थियों को कुक्कुट इकाई की स्थापना के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कराने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास प्रबंधन एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थाओं के

माध्यम से कराया जायेगा। लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में भी कुक्कुट पालन की नवीन तकनीक की जानकारी हेतु भ्रमण कराया जायेगा।

(10) कुक्कुट विकास नीति-2022 अन्तर्गत पूर्व में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट पर कार्यवाही शासनादेश संख्या-2254/सैंतीस-2-2022-1(45)/2012टी०सी०-(ए) कंप्यूटर सं०-1659381 दिनांक 07 नवम्बर-2022 एवं शासनादेश संख्या-2505/सैंतीस-2-2022-1(45)/12 टी०सी० दिनांक 29 दिसम्बर-2022 के अनुसार यथावत रहेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रारूप-1, 2, 3 एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 22-11-2024 15:59:48

(कु० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2367(1)/सैंतीस-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
(13) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
(14) निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(15) पशुधन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।